# राजस्थान सरकार
# चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.1 (362)एमई / ग्रुप–1 / 17 जयपुर, दिनांक : 13 JUL 2018

## संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(71)एमई / ग्रुप–1 / 88पार्ट दिनांक 25.09.2017 के द्वारा डॉ. ज्योति सैनी की नियुक्ति अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर सहायक आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वेतन श्रृंखला पी.बी. 15,600–39100 (ग्रेड पे रू 6600 / –) में पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी के रूप में की गई थी तथा इनके वेतन भत्ते वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1(2)एफडी / रूल्स / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय होने का उल्लेख किया गया था।

डॉ. ज्योति सैनी पूर्व से नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत नहीं है। फलस्वरूप नवनियुक्ति पर डॉ. सैनी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 14(1)एफडी / रूल्स / 13 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670 / – प्रतिमाह की दर पर देय होगा।

अतः इस विभाग के आदेश कमांक 1(71)एमई / ग्रुप–1 / 88 पार्ट दिनांक 25.09.2017 को तदनुसार संशोधित कर पढ़ा जावे। आदेश दिनांक 25.09.2017 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(41)भर्ती / गोपनीय / 2014–15 / 227 दिनांक 18.07.2017 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव